कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/09/2022/225 दिनांक : 11/01/2024

–:: आदेश ::–

इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित **श्री बलवीर सिंह जोधा, लिपिक ग्रेड–II** न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–13, जयपुर महानगर–द्वितीय **व श्री मो. आसिफ खान, लिपिक ग्रेड–II**, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय को इनसे कनिष्ठतम कर्मचारी की इस कार्यालय के आदेश दिनांक 16.12.2023 से पदोन्नति होने के क्रम में उक्त दोनों कर्मचारीगण क्रमशः श्री बलवीर सिंह जोधा व श्री मो. आसिफ खान को दिनांक 16.12.2023 से **लिपिक ग्रेड–II के पद से रीडर/शेरिस्तेदार ग्रेड–III/लिपिक ग्रेड–I के रिक्त पदों पर** वरीयता सह् योग्यता के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–8 (पूर्व वेतनमान PB-1 5200-20200 में ग्रेड पे–2800/–) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन–भत्तों पर विभागीय पदोन्नति सह्–प्रशासनिक समिति की अनुशंषा के आधार पर **एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।**

उपरोक्त दोनों पदोन्नत कर्मचारीगण व इस कार्यालय के आदेश दिनांकित 16.12.2023 से लिपिक ग्रेड–II के पद से रीडर/शेरिस्तेदार ग्रेड–III/लिपिक ग्रेड–I के रिक्त पदों पर पदोन्नत हुए कर्मचारीगण की रीडर/शेरिस्तेदार ग्रेड–III/लिपिक ग्रेड–I के पद पर **वरिष्ठता** इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी लिपिक ग्रेड–II की स्थाई वरीयता सूची, जो जरिये आदेश क्रमांक 3344 दिनांकित 28.07.2023 के द्वारा जारी की गई है, के अनुसार रहेगी।

नोट :–

1. उपरोक्त दोनों कर्मचारीगण को उपरोक्तानुसार पदोन्नति से संबंधित वित्तीय लाभ उक्त पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक से एवं राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र दिनांकित 16.03.2023 व 24.05.2023 के अनुसार उक्त दोनों कर्मचारीगण को तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय/देय होंगें, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिये कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।
2. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (Revert) कर दिया जावेगा।
3. कुछ कर्मचारीगण द्वारा पूर्व पदोन्नतियों को लेकर मा0 रा0 उच्च न्यायालय, पीठ, जयपुर में रिट याचिकाएं दायर की है, जिनके निर्णयाधीन उक्त पदोन्नति आदेश प्रभावित रहेंगें।
4. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवा–पुस्तिका में किया जावे।
5. उपरोक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/09/2022/226 दिनांक : 11/01/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय ....
04. संबंधित कर्मचारी ....
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. निजी पत्रावली
07. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

11.1.24
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय